जयसिंह अग्रवाल
पूर्व मंत्री
छ.ग. शासन

''स्वर्ण सिटी''
वार्ड क्रमांक 01, दर्री रोड, कोरबा
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495677
फोन नं. 94252-24712

पत्र क्र. JSRB/Reg./2026-27/092 दिनांक : 13/04/2026

प्रति,
माननीय केंद्रीय कोयला मंत्री,
भारत सरकार, नई दिल्ली

विषय: कोरबा (मानिकपुर खदान क्षेत्र) में फ्लाई ऐश के अनियंत्रित एवं नियम-विरुद्ध निपटान के संबंध में कड़ी कार्यवाही हेतु निवेदन।

आपके संज्ञान में लाना अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता है कि वर्ष 2021 से केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरणीय चिंताओं को ध्यान में रखते हुए ताप विद्युत संयंत्रों हेतु नए ऐश डाइक (Ash Dyke) के निर्माण पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही, पर्यावरण मंत्रालय एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं कि फ्लाई ऐश का प्राथमिक उपयोग निम्न-स्तरीय (Low Line Areas) क्षेत्रों के भराव तथा भूमिगत खदानों के समुचित भराव में किया जाए।

किन्तु अत्यंत खेद के साथ अवगत कराना पड़ रहा है कि कोरबा जिले के मानिकपुर खदान क्षेत्र में एसईसीएल प्रबंधन द्वारा इन सभी दिशा-निर्देशों की खुली अवहेलना की जा रही है। यहां फ्लाई ऐश का निपटान वैज्ञानिक एवं सुरक्षित तरीके से करने के बजाय उसे ओवरबर्डन (Over Burden) के ऊपर खुले रूप में ढेर (Heap) के रूप में जमा किया जा रहा है, जो पहाड़ी जैसी संरचना का रूप ले चुका है।

यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक एवं जनस्वास्थ्य के लिए घातक है। विशेषकर गर्मी एवं तेज हवाओं के दौरान फ्लाई ऐश के सूक्ष्म कण हवा में फैलकर पूरे क्षेत्र को प्रदूषित कर देते हैं।

Scanned with OKEN Scanner

जयसिंह अग्रवाल
पूर्व मंत्री
छ.ग. शासन

''स्वर्ण सिटी''
वार्ड क्रमांक 01, दर्री रोड, कोरबा
जिला-कोरबा (छ.ग.) 495677
फोन नं. 94252-24712

पत्र क्र. .....

दिनांक : .....

इसके कारण:

- आमजन को श्वास संबंधी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है,
- सड़कों पर धूल के गुबार के कारण आवागमन अत्यंत कठिन हो जाता है,
- सड़क दुर्घटनाओं की आशंका निरंतर बढ़ रही है,
- पर्यावरणीय संतुलन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

एक ओर जहां सरकार ऐश डाइक निर्माण पर प्रतिबंध लगाकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शा रही है, वहीं दूसरी ओर इस प्रकार की लापरवाही उन प्रयासों को निष्प्रभावी कर रही है।

अतः आपसे अपेक्षा है कि:

1. मानिकपुर खदान क्षेत्र में फ्लाई ऐश निपटान की वर्तमान स्थिति की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए।
2. एसईसीएल प्रबंधन को तत्काल प्रभाव से एनजीटी एवं पर्यावरण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने हेतु निर्देशित किया जाए।
3. खुले में जमा फ्लाई ऐश को शीघ्रता से वैज्ञानिक तरीके से ढंकने एवं सुरक्षित निपटान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
4. भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही रोकने हेतु जिम्मेदार अधिकारियों पर आवश्यक कार्यवाही की जाए।

जनहित एवं पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर त्वरित एवं ठोस कार्रवाई की अपेक्षा है।

धन्यवाद,

(जयसिंह अग्रवाल)

प्रतिलिपि:

अद्ध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक – त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही हेतु।

Scanned with OKEN Scanner